

**कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)**

**फोन नं0-07792-299180, ई-मेल-dcourtnar-mp@nic.in**

**// वाहन नीलामी विज्ञप्ति //**

क्रमांक- **2690**

**/तीन -9-3/2011**

**नरसिंहपुर, दिनांक-04.9.2023**


सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर स्थित अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रं0 एमपी 02 एचसी 0190 जायलो (डीजल) वाहन जहाँ है, जैसी स्थिति में है, को निष्प्रयोजित राशि रूपये 79500/-उनासी हजार पांच सौ रूपये मात्र में दिनांक-19.9.2023 को प्रातः 11 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से देय राशि रूपये 3500/-तीन हजार पांच सौ रु मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

**वाहन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-**

1. MAHINDRA XYLO D2 MDI CRDI (डीजल)
2. RTO REG. NO. MP-02-HC-0190
- 3- Chasis No-MA1YA2JAKA2E39417
- 4- Engine no.JAA4E13204
5. Year manuf. 2010
6. Regis. Date-04.01.2011
7. Date-28-03-22 Reading- 60760 K.M.

**नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार है:-**

1. शासकीय वाहन क्रं0 एमपी 02 एचसी 0190 जायलो (डीजल) कार का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य रूपये 79500/-उनासी हजार पांच सौ रु (शासकीय बोली) नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रूपये 3500/-तीन हजार पांच सौ रु मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने /अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा "विभागीय नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवादके संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन केता को प्रदान किया जावेगा।
7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम देय हो/ मध्यप्रदेश कोषालय की वेबसाईट सायबर ट्रेजरी में मद 0070-60-800-0000 अन्य प्राप्तियां ) के माध्यम से जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

  
04.09.2023


8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर नरसिंहपुर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क़य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जबाबदारी क्रेता की ही होगी।

11. वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क़य संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त मान्य नहीं की जावेगी।

12. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
नरसिंहपुर